रजिस्टर्ड नं० HP/13/SML/2005.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 25 अप्रैल, 2005/5 वैशाख, 1927

हिमाचल प्रदेश सरकार

पंचायती राज विभाग

आदेश

शिमला-171009, 1 अप्रैल, 2005

संख्या पी0सी0एच0-एच ए(5) 177/2002-7036-42.—यह कि उपायुक्त, कुल्लू, जिला कुल्लू द्वारा श्री देवेन्द्र कुमार, प्रधान, ग्राम पंचायत जल्लूग्रां द्वारा स्थानीय जनता, ग्राम पंचायत जल्लूग्रां की शिकायत पत्र पर जांच के दौरान पंचायत समिति सदस्य श्री सेना पाल शर्मा, ग्राम पंचायत, जल्लूग्रां से मारपीट तथा दुर्व्यवहार करने के आरोप में उनके कार्यालय पत्र संख्या पी0सी0 एच0 (कु0) ग्राम पंचायत, कोट-2004-1311-15, दिनांक 19-7-2004 द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था;

अतः यह कि मामले में वास्तविकता जानने हेतु हिमाचल प्रदेश, पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146 के अन्तर्गत उपायुक्त, कुल्लू द्वारा उनके कार्यालय के पत्र संख्या पी0सी0एच0-(कु0) ग्रा0 पं0

कोट 2004-1316-23, दिनांक 19-7-2004 द्वारा नियमित जांच श्री वी0 सी0 भण्डारी, परियोजना अधिकारी, ग्रामीण विकास अभिकरण, कुल्लू को सौंपी गई ;

अतः यह कि जांच अधिकारी द्वारा की गई विस्तृत जांच रिपोर्ट उपायुक्त, कुल्लू से उनके कार्यालय के पत्र संख्या 2160 दिनांक 22-11-2004 के अन्तर्गत निदेशालय में प्राप्त हुई तथा जांच रिपोर्ट में दर्शाए गए तथ्यों का बारीकी से अध्ययन करने उपरान्त श्री देवेन्द्र कुमार, प्रधान, ग्राम पंचायत जल्लूग्रां द्वारा ग्राम सुधार समिति सदस्य श्री सेनापाल शर्मा, ग्राम पंचायत जल्लूग्रां से मारपीट, दुर्व्यवहार करने तथा जांच कार्य में व्यवधान डालने के दोषी पाए गए जिसके फलस्वरूप उन्हें सरकार द्वारा दिनांक 23-12-2004 को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146 के अन्तर्गत प्रधान पद से निष्कासित करने से पूर्व निष्कासनार्थ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया कि क्यों न उन्हें प्रधान पद से निष्कासित किया जाए तथा 15 दिनों के भीतर अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर प्रदान किया गया ;

अतः यह कि श्री देवेन्द्र कुमार प्रधान, (नि0), ग्राम पंचायत जल्लूगां द्वारा प्रस्तुत उक्त कारण बताओ नोटिस के उत्तर से सरकार सन्तुष्ट नहीं हुई, क्योंकि उत्तर तथ्यों पर आधारित नहीं है । जिसके फलस्वरूप श्री देवेन्द्र कुमार, प्रधान, ग्राम पंचायत जल्लूग्रां, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146(1)(ख) के अन्तर्गत दुराचार के दोषी पाये जाने के कारण उन्हें उक्त अधिनियम की धारा 146 (1) के अन्तर्गत प्रधान पद से हटाया जाना आवश्यक है।

अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उन शक्तियों के अधीन जोकि उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146(1) के अन्तर्गत प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए श्री देवेन्द्र कुमार, प्रधान, ग्राम पंचायत जल्लूग्रां, विकास खण्ड कुल्लू, जिला कुल्लू को उक्त कृत्य के लिए प्रधान पद से तुरन्त निष्कासित किया जाता है तथा छः वर्ष की कालावधि के लिए उक्त अधिनियम की धारा 146(2) के अन्तर्गत पंचायत पदाधिकारी के रूप में निर्वाचन के लिए निर्रहित किया जाता है।

शिमला-171009, 4 अप्रैल, 2005

संख्या पी0 सी0 एच0-एच0 ए0 (5) 102/2004-7142-7148.—यह कि श्रीमती सुरेश कुमारी, प्रधान, ग्राम पंचायत हीरापुर के विरुद्ध श्री सुरेन्द्र पाल, उप-प्रधान, ग्राम पंचाय हीरापुर एवं अन्य वार्ड पंचों से प्राप्त शिकायत पत्र पर प्रारम्भिक छानबीन उप निदेशक एवं उप सचिव (पंचायत), हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा की गई । जिसके फलस्वरूप श्रीमती सुरेश कुमारी, प्रधान, ग्राम पंचायत हीरापुर, राजीव आवास योजना के अन्तर्गत मकान निर्माण हेतु मु0 18,000/- रु0 की राशि गलत प्रमाण-पत्र देकर श्रीमती मान देई पत्नी श्री अनन्त राम को प्रदान करने की सिफारिश कर लाभार्थी को अनुचित लाभ पहुंचाने की दोषी पाई गई हैं ;

अतः यह कि मामले की वास्तविकता जानने हेतु हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146 (1) के अन्तर्गत उपायुक्त, बिलासपुर द्वारा उनके कार्यालय के पत्र संख्या बी0 एल0 पी0 पंच-5321-25, दिनांक 26-10-2004 द्वारा नियमित जांच जिला पंचायत अधिकारी, बिलासपुर, जिला बिलासपुर को सौंपी गई ;

अतः यह कि जांच अधिकारी द्वारा की गई विस्तृत जांच रिपोर्ट उपायुक्त, बिलासपुर से उनके कार्यालय पत्र संख्या बी0 एल0 पी0-पंच-5933, दिनांक 3-1-2005 के अन्तर्गत निदेशालय में प्राप्त हुई तथा जांच रिपोर्ट में दर्शाये गये तथ्यों का बारीकी से अध्ययन करने उपरान्त सरकार के ध्यान में आया कि श्रीमती सुरेश कुमारी द्वारा बहैसियत प्रधान, ग्राम पंचायत हीरापुर, विकास खण्ड झण्डूता, जिला बिलासपुर, श्रीमती मान देई पत्नी श्री अनन्त राम को राजीव आवास योजना के अन्तर्गत स्वीकृत राशि मु0 22,000/- रु0 में से मु0 6000/- रु0 प्रथम किश्त तथा मु0 12,000/- रु0 द्वितीय किश्त मौके पर निर्माण कार्य का निरीक्षण किये बगैर जारी कर लाभार्थी को अनुचित लाभ पहुंचा कर कुल मु0 18,000/- रु0 की

राशि का दुरुपयोग किया है । लाभार्थी द्वारा भी उक्त राशि का प्रयोग अपने पुराने मकान की मुरम्मत पर व्यय किया है केवल शौचालय ही नया बनाया है । यदि यह मामला प्रकाश में नहीं आता तो प्रधान द्वारा गलत प्रमाण-पत्र जारी करने की वजह से मु0 18,000/- रु0 की सरकारी राशि का दुरुपयोग हो जाता । यद्यपि उपरोक्त राशि लाभार्थी द्वारा दिनांक 19-10-2004, रसीद संख्या-1927533 अनुसार खण्ड विकास अधिकारी, झण्डूता के कार्यालय में जमा कर दी गई है ।

अतः यह कि जांच रिपोर्ट का अवलोकन करने उपरान्त श्रीमती सुरेश कुमारी, प्रधान, ग्राम पंचायत हीरापुर को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146 (1) (बी) के अन्तर्गत उपरोक्त दर्शाये गये कृत्यों के लिये दुराचार के दोषी पाये जाने के फलस्वरूप दिनांक 16-2-2005 को निष्कासनार्थ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया ।

अतः यह कि श्रीमती सुरेश कुमारी, प्रधान, ग्राम पंचायत हीरापुर ने उक्त कारण बताओ नोटिस का उत्तर दिनांक 9-3-2005 को प्रस्तुत कर सूचित किया है कि उन द्वारा श्रीमती मान देई लाभार्थी को राजीव आवास योजना के अन्तर्गत मकान निर्माण हेतु स्वीकृत राशि को जारी करने हेतु सिफारिश मौका निरीक्षण किये बगैर विपरीत पारिवारिक परिस्थितियों तथा पंचायत सचिव द्वारा दिये गये प्रमाण-पत्र के आधार पर गया किया था ।

उपरोक्त के दृष्टिगत राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 145(6) के अन्तर्गत श्रीमती सुरेश कुमारी, प्रधान, ग्राम पंचायत हीरापुर को भविष्य में सचेत रहने बारे चेतावनी दी जाती है ।

शिमला-171009, 6 अप्रैल, 2005

संख्या पी0 सी0 एच0-एच0 ए0 (5) 104/99-7288-94.—यह कि उपायुक्त, सिरमौर द्वारा श्री चमेल सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत बान्दली, विकास खण्ड शिलाई को विकास कार्यों हेतु स्वीकृत सरकारी धनराशि के दुरुपयोग एवं छलहरण में संलिप्त होने के आरोप में उनके कार्यालय आदेश संख्या पी0 सी0 एन0-एस0 एम0 आर0 (विविध) (5) 85/99-4-1240-50, दिनांक 19-6-2002 द्वारा प्रधान, ग्राम पंचायत बान्दली के पद से निलम्बित किया गया था ;

यह कि मामले की वास्तविकता जानने हेतु नियमित जांच हिमाचल प्रदेश, पंचायतती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146 के अन्तर्गत उप-मण्डल अधिकारी, पांवटा, जिला सिरमौर को विभाग के आदेश संख्या पी0 सी0 एच0-एच0 ए0 (5) 104/99-31303-309, दिनांक 29-11-2002 को सौंपी गई थी ;

अतः यह कि जांच अधिकारी से प्राप्त जांच रिपोर्ट का बारीकी से अध्ययन करने उपरान्त निम्न तथ्य समक्ष आये :—

क्र0 सं0	निर्माण कार्यों का नाम अथवा प्रयोजन	मद	स्वीकृत राशि	खर्च दर्शाई गई या प्रधान को अग्रिम राशि	मूल्यांकन राशि	बकाया अधिक निकाली गई राशि
1	2	3	4	5	6	7
1.	निर्माण पक्की गली हरिजन बस्ती ढाका ।	जे0 जी0 एस0 वाई0 ।	28,500/-	28,418/-	मौके पर कार्य नहीं हुआ है ।	28,418/-
2.	निर्माण पक्का रास्ता प्रा0 पा0 से निचली बान्दली ।	11वां वित्त आयोग ।	16,000/-	16,000/-	-यथा-	16,000/-

1	2	3	4	5	6	7
3.	मुरम्मत सिंचाई टैंक पण्डोग निर्माण।	जे0जी0एस0 वाई0।	7,000/-	7,000/-	2,452/-	4,548/-
4.	निर्माण सिंचाई कुहल पंडोग नाला से बढियार।	-यथा-	20,000/-	20,000/-	10,913/-	9,087/-
5.	निर्माण साईड ड्रेन (गंदी नाली) ग्राम कुफर।	10वां वित्त आयोग	10,000/-	10,000/-	4,266/-	5,734/-
6.	निर्माण पशु खुरली ग्राम भगयारी।	11वां वित्त आयोग	3,000/-	3,000/-	2,062/-	938/-
7.	निर्माण खच्चर रास्ता काण्डोधार से धधास।	10वां वित्त आयोग।	15,000/-	15,000/-	2,965/-	12,035/-
8.	निर्माण सांझा आंगन धधास।	जे0जी0एस0 वाई0।	12,000/-	12,000/-	2,743/-	9,257/-
		योग ..	1,11,500/-	1,11,418/-	25,401/-	86,017/-

अतः उपरोक्त कार्यों पर प्रधान द्वारा मु0 1,11,418/- रु0 अग्रिम के रूप में प्राप्त किए तथा व्यय दर्शाए गए है जबकि निर्माण कार्यों का मूल्यांकन मु0 25,401/-रु0 किया गया है। इस प्रकार श्री चमेल सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत, बान्दली द्वारा मु0 86,017/- रु0 की सरकारी धनराशि का दुरुपयोग तथा गबन किया गया है।

अतः यह कि जांच रिपोर्ट पर विचार करने उपरान्त श्री चमेल सिंह, प्रधान (नि0), ग्राम पंचायत बान्दली द्वारा बर्ती गई वित्तीय अनियमितताओं तथा मु0 86,017/-रु0 की राशि के दुरुपयोग किए जाने के फलस्वरुप इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 15-12-2004 के अन्तर्गत उन्हें निष्कासनार्थ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया कि क्यों न उन्हें प्रधान पद से निष्कासित किया जाए तथा 15 दिनों के भीतर अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर प्रदान किया गया ;

अतः यह कि श्री चमेल सिंह, प्रधान (नि0), ग्राम पंचायत, बान्दली द्वारा प्रस्तुत उक्त कारण बताओ नोटिस के उत्तर से सरकार सन्तुष्ट नहीं हुई, क्योंकि उत्तर तथ्यों पर आधारित नहीं है। जिसके फलस्वरुप श्री चमेल सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत, बान्दली, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146 (1) के अन्तर्गत विभिन्न वित्तीय अनियमितताओं तथा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में आपत्तिजनक कार्यकलाप के फलस्वरुप के दोषी पाये जाने के कारण उन्हें प्रधान पद से हटाया जाना आवश्यक है।

अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उन शक्तियों के अधीन जो कि उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त है का प्रयोग करते हुए श्री चमेल सिंह, प्रधान (नि0), ग्राम पंचायत बान्दली, विकास खण्ड शिलाई, जिला सिरमौर को उक्त कृत्य के लिए प्रधान पद से तुरन्त निष्कासित किया जाता है तथा छः वर्ष की कालावधि के लिए उक्त अधिनियम की धारा 146 (2) के अन्तर्गत पंचायत पदाधिकारी के रूप में निर्वाचन के लिए निर्रहित किया जाता है।

आदेश द्वारा

हस्ताक्षरित/-
सचिव।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।